## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 21/2020 दायरा दिनांक : 03.03.2020

**उनवान**

बालाराम आत्मज अमरलाल बागरी, आयु 65 वर्ष, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

**बनाम**

1– सीताराम आत्मज अमरलाल बागरी, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (मृतक)

1/1– राधेश्याम आत्मज सीताराम बागरी, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

1/2– मदनलाल आत्मज सीताराम बागरी, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– बालाराम आत्मज कन्हैयालाल, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– दुर्गालाल आत्मज कन्हैयालाल, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– भूलीबाई बेवा कन्हैयालाल, जाति बागरी, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

5– रामगोपाल आत्मज राधाकिशन पाटीदार, जाति पाटीदार, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6– श्रीमती संगीता पत्नी अविनाश पाटीदार, जाति पाटीदार, निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अभितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 20.10.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 100/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में आराजी खसरा नं. 2785/1 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2785 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजी दोनों खसरा नम्बर का पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 2785 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा था, जो कि वादी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 1 मृतक सीताराम व मृतक कन्हैयालाल जो कि रेस्पोडेंट नं. 2 लगायत 4 के पति व पिता थे। पिता व दादा जी स्वर्गीय अमरलाल आत्मज गब्बा जी बागरी, निवासी मिश्रोली के नाम पर खातेदारी में दर्ज था, जो कि नोतोड किस्म से राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। उक्त आराजी खसरा नं. 2785 का बंटवारा अमरलाल ने अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों के मध्य कर दिया था और मौके पर मेडे भी डलवा दी थी। उक्त विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2785 में से 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी का जरिये

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

नामान्तरकरण 1196 से बैंक नीलामी बताते हुए दिनांक 15.10.1987 को प्रतिवादी सं. 5 रेस्पोडेंट नं. 7 के नाम पर दर्ज कर दिया। यह नीलामी पूर्णतया विधि विरूद्ध तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बाद में प्रतिवादी नं. 5 रेस्पोडेंट नं. 5 रामगोपाल ने उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादी नं. 6 रेस्पोडेंट नं. 6 संगीता पाटीदार को कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। साथ ही विवादग्रस्त आराजियात का विभाजन तीनों वारिसों में 1/3 – 1/3 करने की प्रार्थना की और निवेदन किया कि सीताराम ने उसके 1/3 हिस्से का बेचान वादी अपीलांट को दिनांक 01.06.2006 को कर राशि प्राप्त कर उसका हिस्सा संभला दिया था। इस प्रकार अंत में वादी अपीलांट को 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक व रेस्पोडेंट नं. 2 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने की मांग की तथा खसरा नं. 2785/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार कृषक वादी अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 को विभाजन तीनों वारिसों में 1/3 – 1/3 करने की प्रार्थना की, जिसे न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के दावा आंशिक स्वीकार कर खसरा नं. 2785/1 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी को देखते हुए बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के मध्य हिस्से अनुसार किये जाने तथा खाता अलग–अलग कायम किये जाने की आज्ञा दी तथा शेष खसरा नं. 2785/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के बाबत किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली, संग्रह–सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कृषि आराजी को सुरक्षित रखने के लिए यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किन्हीं कारण वर्ष बैंक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आराजी को कुर्क कर नीलाम किया जाता है तो उक्त वर्ग में से विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को ही आराजी का बेचान कर आराजी

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त विशिष्ट वर्ग के लिये ही सुरक्षित रखी जावेगी । जिसकी भी अवहेलना एवं अवमानना उक्त निर्णय के तनकी नं. 3 के निस्तारण में गलत रूप से किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2018 की रोशनी में अपीलांट का वाद राजस्व लोक अदालत के संग अभियान भवानीमण्डी केम्प में निर्णित किया गया । अपीलांट व रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.01.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की मकबूल हुसैन बनाम राज0 राज्य डी.बी.स्पेशल अपील रिट नं. 714/2007 निर्णय दिनांक 06.12.2016 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कृषि आराजी को सुरक्षित रखने के

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, ...

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लिए यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किन्हीं कारण वर्ष बैंक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आराजी को कुर्क कर नीलाम किया जाता है तो उक्त वर्ग में से विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को ही आराजी का बेचान कर आराजी उक्त विशिष्ट वर्ग के लिये ही सुरक्षित रखी जावेगी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 अवहेलना एवं अवमानना उक्त निर्णय द्वारा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2018 की रोशनी में अपीलांट का वाद राजस्व लोक अदालत के संग अभियान भवानीमण्डी केम्प में निर्णित किया गया । अपीलांट व रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2023 को उपस्थित होवें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टैलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

**रमेश बहादुर सिंह पाल**
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा